न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 10 / 2020 (उदयपुर डिक्री)

1. भैरूसिंह पिता श्री रणजीतसिंह राव, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. किशनसिंह पिता श्री रणजीतसिंह राव, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती गंगा पत्नी श्री दलीचन्द सोनी, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. उप पंजीयक, पंजीयक कार्यालय, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. पटवारी, पटवार हल्का बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली
दिनांक 15.11.2019, प्र.सं. 29 / 12

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभि.रे.सं. 2, 3, 4

———::———

निर्णय **दिनांक 09–11–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आसोलियों की मादडी में आराजी नंबर 377 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.12.14 13:10:40 IST
Reason: SelfAttested

स्थित है, जिसके पुराने आराजी नंबर 608/2 थे जो पूर्व में प्रतापसिंह कशोरसिंह पिता नहारसिंह राव के नाम अंकित थी। उक्त खातेदार परतापसिंह व कशोरसिंह द्वारा वादीगण के दादा गोविन्दसिंह एवं मेगसिंह को संवत 2012 महा विद 15 को 136/– रूपये में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार वाद वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से पर वादीगण का 60 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, जिससे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादीगण खातेदार हो चुके हैं। अतः वाद वर्णित आराजी नंबर 377 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया तथा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर वादीगण का वाद खारिज करने की प्रार्थना की।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 15–11–2019 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 28–01–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम बार दिनांक 15–11–2019 को हुई। तत्पश्चात नकले प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः मियाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत करने में अल्प विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.12.14 13:10:40 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अंकित किया कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दस्तावेज की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि अपीलान्ट को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपीलान्ट/वादीगण द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने असल दस्तावेज के अभाव में अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो विधि अनुकूल होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादीगण के अधिवक्ता को असल दस्तावेज प्रस्तुत करने के कई अवसर दिये गये, किन्तु इसके वाबजूद भी वादीगण के अधिवक्ता द्वारा असल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दिनांक 26–07–2017 को 500/– की कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया गया। इसके बावजूद भी 3 पेशियों तक अधिवक्ता वादीगण द्वारा असल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 11 नियम 21 सी.पी.सी. के तहत वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–11–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 09–11–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.12.14 13:10:40 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

भैरूसिंह पिता रणजीतसिंह राव, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली व अन्य बनाम **श्रीमती गंगा पत्नी दलीचन्द सोनी, नि0 आसोलियों की मादड़ी, तह0 मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**10/2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **मावली** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**15**.....माह.....**11**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**11**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री तुलसीराम डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री मनीष शर्मा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–11–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**11**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.12.14 13:10:40 IST
Reason: SelfAttested